राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ–75)डीटीए/IFMS/WAM/ 4442 दिनांक 15/10/2024

परिपत्र

विषय :– **निर्माण विभागों हेतु ऑनलाईन बी.एस.आर. (IFMS 3.0) तैयार करने के संबंध में दिशा–निर्देश।**

वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 2979 दिनांक 29.07.2024 द्वारा निर्माण कार्यों से संबंधित ऑनलाईन प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आई.एफ.एम.एस. 3.0 के अन्तर्गत दिनांक 01.08.2024 से जारी किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। इसी की निरन्तरता में निर्माण विभागों द्वारा ऑनलाईन बी.एस.आर. तैयार/संशोधित की जाने की प्रक्रिया को और अधिक सुगम एवं प्रभावी किये जाने हेतु उक्त प्रक्रिया को नवीन तकनीक व संरचना एवं SSO से सम्बद्ध करते हुए आई.एफ.एम.एस. 3.0 के अन्तर्गत विकसित किया गया है।

आई.एफ.एम.एस. 3.0 के अन्तर्गत विकसित ऑनलाईन बी.एस.आर. तैयार/संशोधित करने की प्रक्रिया को 01 अक्टूबर 2024 से लागू किया जा रहा है। उक्त प्रक्रिया के संबंध में सभी निर्माण विभागों के स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी :–

(1) आई.एफ.एम.एस. 3.0 के अन्तर्गत विकसित सभी प्रक्रियाएं Raj SSO (Single Sign On) लॉगिन आधारित है अतः उक्त प्रक्रिया से सम्बद्ध सभी कार्मिकों/अधिकारियों के स्तर से IFMS Home Page (https://ifms.rajasthan.gov.in/ifmssso/#/home) को Access करने हेतु कम से कम एक बार Raj SSO पर लॉगिन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) आई.एफ.एम.एस. 3.0 की सभी प्रक्रियाएं Desk एवं Role based है अतः सभी अधिकृत कार्मिकों/अधिकारियों को उनके पेज पर उपलब्ध संबंधित Desk (Office) एवं Role का चयन करने पर उनसे संबंधित Task किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी।

(3) उक्त प्रक्रिया में सक्षम स्तर से अनुमोदित बी.एस.आर. को ई–साईन व्यवस्था हेतु आधार नम्बर मोबाईल से लिंक होना आवश्यक होगा। अतः तदानुसार आधार नम्बर मोबाईल नम्बर से मैप कराया जाना सुनिश्चित करावें। डिजीटल साईन की व्यवस्था भी इस प्रक्रिया से सम्बद्ध होगी।

(4) बी.एस.आर. बुक तैयार करने की प्रक्रिया के अन्तर्गत नवीन बी.एस.आर. बुक जनरेट करने, उसे संबंधित वृत कार्यालय/अन्य सक्षम कार्यालय को उपलब्ध कराने एवं प्राप्त बी.एस.आर. बुक को अनुमोदित करने का कार्य विभागाध्यक्ष स्तर पर किया जायेगा। वृत कार्यालय/अन्य सक्षम कार्यालय के स्तर पर उक्त बी.एस.आर. बुक में आईटम एवं दरें प्रविष्टि किए जाने का कार्य किया जायेगा।

(5) वर्तमान में संधारित बी.एस.आर. को संशोधित कर नवीन एडीशन जारी करने हेतु निर्धारित फार्मेट सिस्टम पर ही उपलब्ध कराये जावेगे तथा विभागों द्वारा उसी निर्धारित फार्मेट को डाऊनलोड पश्चात नवीन/संशोधित बी.एस.आर. तैयार कर अपलोड एवं अनुमोदित कराये जाने की सुविधा सिस्टम में उपलब्ध रहेगी।

इस प्रक्रिया में अन्य समस्त प्रावधान/दायित्व वित्त विभाग के पूर्व में जारी संदर्भित परिपत्र दिनांक 19.08.2019 एवं 01.01.2021 के अनुसार ही रहेगें।

नवीन प्रक्रियाओं को शुरू करने हेतु आई.एफ.एम.एस. 2.0 में संधारित (अनुमोदित) सभी बी.एस.आर. बुक को नवीन प्रक्रिया में माईग्रेशन द्वारा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा, जिनकी जाँच संबंधित विभाग द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

उक्त प्रक्रिया से संबंधित यूजर मैन्यूअल, विडियों एवं जनरल गाईडलाईन आई.एफ.एम.एस. 3.0 के Home Page पर उपलब्ध रहेगी। उक्त प्रक्रिया में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान हेतु निम्न नम्बर्स/ई–मेल आई.डी. पर सम्पर्क किया जा सकेगा :–

1.	IFMS 3.0 Helpdesk	–	0141- 2743753,
	e-Mail Id	–	wamhelpdesk.ifms@rajasthan.gov.in
2.	लेखाधिकारी	–	0141-2743752
	e-Mail Id	–	aaowam.ifms@rajasthan.gov.in
3.	अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन परियोजना निदेशक (IFMS)	–	0141-2743752Mail Id
		–	jdb-ta-rj@nic.in

10/10/24

(देबाशीष पृष्टी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

4442
15/10/2024

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/सिविल लेखा परीक्षा/वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/ इंदिरा गांधी नहर परियोजना/सिंचिंत क्षेत्र विकास विभाग/वन विभाग/ जल संसाधन विभाग।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (वित्तीय नियम) विभाग, सचिवालय, जयपुर
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
7. समस्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/ जल संसाधन विभाग/ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/इंदिरा गांधी नहर परियोजना/सिंचित क्षेत्र विकास विभाग।
8. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी/सार्वजनिक निर्माण विभाग/ जल संसाधन विभाग/जन स्वास्थ्य अंभियांत्रिकी विभाग/इंदिरा गांधी नहर परियोजना/ सिंचित क्षेत्र विकास/वन विभाग।
9. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी सचिवालय, जयपुर को सिस्टम में तदानुसार आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित करवाये जाने हेतु।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
11. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी. (ट्रेजरी/वॉम) एल.आई.सी. भवन, जयपुर।
12. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी राजस्थान।

(भूपेश माथुर)
संयुक्त शासन सचिव